इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 224] भोपाल, गुरूवार, दिनांक 6 मई 2021—वैशाख 16, शक 1943

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 मई 2021

फा. क्र. 1824—इक्कीस—ब—(एक).—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987(1987 का संख्यांक 39) की धारा 28 के साथ पठित धारा 6 की उपधारा (5) तथा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एत्दद्वारा, मध्यप्रदेश जिला विधिक सहायता अधिकारी (भर्ती) नियम 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3—क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तस्थापित किया जाए, अर्थातः— "3—ख" जिला विधिक सहायता अधिकारियों की पदोन्नति हेतु पदों की विभाजनः—

(1) जिला विधिक सहायता अधिकारियों की सेवा में निम्नलिखित प्रवर्ग में निम्नानुसार पद होंगे :—

(एक)	जिला विधिक सहायता अधिकारी (प्रवेश—स्तर) (वेतनमान रूपयें 15600—39100 ग्रेड पे 5400, सातवें वेतनमान के अनुसार— 56100—177500)	33 पद
(दो)	वरिष्ठ जिला विधिक सहायता अधिकारी (पदोन्नति संवर्ग) (वेतनमान रूपयें 15600—39100 ग्रेड पे 6600, सातवें वेतनमान के अनुसार— 67300—206900)	14 पद
(तीन)	वरिष्ठ जिला विधिक सहायता अधिकारी ग्रेड—1 (पदोन्नति संवर्ग) (वेतनमान रूपयें 15600—39100 ग्रेड पे 7600, सातवें वेतनमान के अनुसार— 79900—211700)	08 पद

(2) वरिष्ठ जिला विधिक सहायता अधिकारी के संवर्ग में पदोन्नति, मध्यप्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा या मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये किसी प्राधिकारी द्वारा उन जिला विधिक सहायता अधिकारियों में से जिन्होंने निरन्तर सेवा के 5 वर्ष पूर्ण कर लिये हों, योग्यता—सह—वरिष्ठता के आधार पर चयन द्वारा की जायेगी.

(3) वरिष्ठ जिला विधिक सहायता अधिकारी ग्रेड–1 के संवर्ग में पदोन्नति, मध्यप्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा या मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये किसी प्राधिकारी द्वारा उन वरिष्ठ जिला विधिक सहायता अधिकारियों में से जिन्होंने वरिष्ठ जिला विधिक सहायता अधिकारी के संवर्ग में निरन्तर सेवा के 5 वर्ष पूर्ण कर लिये हो, योग्यता–सह–वरिष्ठता के आधार पर चयन द्वारा की जायेगी.

AMENDMENT

In the said rules, after rule 3-A the following rule shall be inserted, namely :-
"3-B" divion of post for promotion of District Legal Aid Officers.

(1) The service of the District Legal Aid Officer shall consist of the following categories, namely :-

(i)	District Legal Aid Officer (Entry- Level) (Pay scale 15600-39100 Grade pay 5400, 7 th pay- 56100-177500)	33 post
(ii)	Senior District Legal Aid Officer (Promotion cader) (Pay scale 15600-39100 Grade pay 6600, 7 th pay- 67300-206900)	14 post
(iii)	Senior District Legal Aid Officer Grade-1 (Promotion cader) (Pay scale 15600-39100 Grade pay 7600, 7 th pay- 79900-211700)	08 post

(2) Promotion to the cader of District Legal Aid Officer shall be made by the Madhya Pradesh State Legal Services Authority or by any authority as may be spacified by the Madhya Pradesh State Legal Services Authority by selection on the basis of merit-cum-seniority from amongest District Legal Aid Officer, who have completed 5 years of continuous service.

(3) Promotion to the cader of Senior District Legal Aid Officer Grade-1 shall be made by the Madhya Pradesh State Legal Services Authority or by any authority as may be spacified by the Madhya Pradesh State Legal Services Authority by selection on the basis of merit-cum-seniority from amongest Senior District Legal Aid Officer, who have completed 5 years of continuous service in cader of Senior District Legal Aid Officer.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नेशचन्द्र सिंह बिसेन, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2021.